

क्र.सं. पीसी-VI/ 225
सं. पी सी-VI/2009/आई/आरएसआरपी/6

आर बी ई सं. 133 /2010
नई दिल्ली, दिनांक: 14.09.2010

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें।
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: निर्माण संगठनों में संवर्ग बाह्य पदों पर तदर्थ आधार पर कार्य करने के लिए विलय किए गए ग्रेडों में वेतन का निर्धारण।

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम (7) के अनुसार (i) उस स्थायी पद पर जिस पर कर्मचारी कार्य पुनर्गणनाधिकार रखता है, के मूल पद वेतन तथा (ii) उस स्थानापन्न पद पर जिस पर वह काम कर रहा हो, उसके वेतन के संबंध में रेलवे कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन अलग से निर्धारित किया जाएगा।

2. रेल सेवा संशोधित वेतन नियम, 2008 के नियम 7 के नीचे टिप्पणी 5 के अनुसार, "जब कोई रेल कर्मचारी किसी स्थायी पद पर हो तथा नियमित आधार पर किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत हो तथा दोनों पदों पर लागू वेतनमानों का एक में विलय कर दिया गया हो ऐसे में वेतन का निर्धारण इस उप नियम के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही स्थायी वेतन माना जाएगा।"

3. निर्माण संगठन में विलय किए गए ग्रेडों में तदर्थ आधार पर संवर्ग बाह्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण के संबंध में क्षेत्रीय रेलों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं। इस मामले की जांच की गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्माण संगठन में तदर्थ आधार पर संवर्ग-बाह्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में उनका वेतन, संवर्ग पद तथा संवर्ग-बाह्य पद के लिए अलग-अलग निर्धारित किया जाना है जैसा कि रेल सेवा संशोधित वेतन नियम, 2008 के नियम 7 (1) में प्रावधान है। उनके मामले में नियम 7 के नीचे दिया गया नोट 5 लागू नहीं है।

4. इसे रेल मंत्रालय के स्थापना निदेशालय के परामर्श तथा वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5. इससे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण एवं म.प.प.), दक्षिण रेलवे के दिनांक 12.08.2009 के पत्र सं. पी-524/आई/पी/सीएन तथा दक्षिण रेलवे के दिनांक 31.08.2009 के पत्र सं. पी (आर) 524 का निपटारा हो जाता है।

(यू.के. तिवारी)

संयुक्त निदेशक, वेतन आयोग-II
रेलवे बोर्ड

सं. पी सी-VI/2009/आई/आरएसआरपी/6

नई दिल्ली, दिनांक: 14.09.2010

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन,
अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

नई दिल्ली को प्रेषित (40

कृते वित्त आयुक्त, रेलें।



Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

S.No.PC-VI/225

RBE No.133/2010

No. PC-VI/2009/I/RSRP/6

New Delhi, dated 14.09.2010

The General Managers,
All Indian Railways,
(As per mailing list).

Sub: Fixation of Pay in merged grades for working on ad-hoc basis on ex-cadre posts in Construction Organisations.

As per Rule (7) of RS(RP) Rules,2008, initial pay of a Railway servant shall be fixed separately (i) in respect of his substantive pay in the permanent post on which the employee holds a lien and (ii) in respect of his pay in the officiating post held by him.

2. As per note 5 below Rule 7 of RSRP Rules, 2008, "Where a Railway servant is holding a permanent post and is officiating in a higher post on a regular basis and the scales applicable to these two posts are merged into one scale, the pay shall be fixed under this sub-rule with reference to the officiating post only and the pay so fixed shall be treated as substantive pay".

3. Clarifications are being sought by the zonal railways regarding fixation of pay of staff working in Construction Organisation on ex-cadre posts on ad-hoc basis in merged grades. The matter has been examined and it is clarified that in the case of staff working in Construction Organisation on ex-cadre posts on ad-hoc basis, their pay in the 6th CPC pay structure is to be fixed separately for cadre post and ex-cadre post as provided in Rule 7(1) of RSRP, 2008. Note 5 below Rule 7 is not applicable in their case.

4. This issues in consultation with Establishment Directorate and with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. This disposes of CAO (Const. & MTP), Southern Railway's letter No.P-524/I/ P/CN dated 12.08.2009 and Southern Railway's letter No.P(R)524 dated 31.08.2009.




(U.K.Tiwari)

Deputy Director Pay Commission-VI
Railway Board.

No. PC-VI/2009/I/RSRP/6

New Delhi, dated 14.09.2010

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares)



for Financial Commissioner/Railways.